

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक: 1 OCT 2021

संशोधित आदेश

नगरीय निकायो द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत जारी की गयी लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 90-बी व भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड की दिनांक से 10 वर्ष में निर्माण किया जाना आवश्यक है।

कोविड-19 के मध्यनजर आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2019 तक की जायेगी। उक्त राशि अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) तक जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

अधिसूचना दिनांक 12.05.2020 के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की दिनांक तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढ़ी हुयी मानी जावेगी।

लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) में प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2021 के अधिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन्नीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम